

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

कमोंक: एफ 16 (1) (198) मबावि/05/ 43754

जयपुर, दिनोंक
28-5-13

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) की क्रियान्विति के संबंध में विभागीय आदेश कमोंक एफ 16 (1) (198) मबावि/05/30386 दिनोंक 11.5.09 में आंशिक संशोधन करते हुए निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ के संदर्भ में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामोद्दिष्ट किये जाते हैं :-

क्रम संख्या	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ	अतिरिक्त निदेशक, शिशु	उप निदेशक, प्रशासन

28/5/13
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

कमोंक: एफ 16 (1) (198) मबावि/05/43755-765

जयपुर, दिनोंक
28-5-13

प्रतिलिपि:

1. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -समस्त।
6. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ) विभाग।
8. निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ के समस्त अधिकारीगण। पुनारी-राधि. (कम्प्यूटर)
9. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग विभाग— समस्त।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
11. आदेश पत्रावली।

28/5/13
निदेशक, आई.सी.डी.एस.